(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसंबर, 2023

फा0सं0 9(8)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2022/ 8224 : गृहमंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप–नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व संपदा ग्रास बदुसराय में खसरा सं0 31/12/1 (03 बिस्वा 02 बिस्वंसी) को सम्मिलित करते हुए नजफगढ़ अपवाहिका पर आरडी 14468एम के ऊपर 4 लेन आरसीसी पुल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियन रोड, कश्मीरीगेट, दिल्ली–110006 को दिनांक 15/12/2023 की अधिसूचना फा0 सं0 9(8)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2022/ 8213 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन(एसआईएस) अध्ययन करने के लिए एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन–सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण–पश्चिम), कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037 के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना–पत्र एवं जन–सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(अशोक कुमार यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0सं09(8)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2022/3224-34 दिनांक......15...... दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली–110054
2. स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002
3. एस0 ओ0, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली–110002
4. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय–1), 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054
5. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम), डी0सी कार्यालय परिसर, ओल्ड टर्मिनल टैक्स भवन, कापसहेडा, नई दिल्ली–110037
6. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम), कार्यालय परिसर, ओल्ड टर्मिनल टैक्स भवन, कापसहेडा, दिल्ली–110037
7. उप–सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आई0पी एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
8. कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या–1, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बसईदारापुर कार्यालय परिसर, नई दिल्ली–110027
9. निजी सचिव, मण्डलीय आयुक्त, 5, शामनाथमार्ग, दिल्ली–110054
10. डॉ0 बुद्धादित्यादास, मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
11. प्रणाली विश्लेषक, (भूमि एवं भवन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार विकास भवन, नई दिल्ली –110002 को अनुरोध के साथ कि अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें

(अशोक कुमार यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार